संख्या-27/2020/63/71-2-2020-पी-6/2019

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 06 मार्च, 2020

विषय- वित्तीय वर्ष 2019-20 में एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ परिसर में मेडिकल टेक्नोलॉजी के छात्रों हेतु 200 बेड छात्रावास (जी+6) बनाये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संस्थान के पत्र संख्या-पी0जी0आई0/सिविल/अभि0/एन0बी0-108/2018/469 /2019, दिनांक 12-09-2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में मेडिकल टेक्नोलॉजी के छात्रों हेतु 200 बेड छात्रावास (जी+6) प्रायोजना के निर्माण कार्य हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा अनुमोदित लागत रू0 1215.21 लाख (रूपये बारह करोड पन्द्रह लाख इक्कीस हजार मात्र) + जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 486.00 लाख (रूपये चार करोड छियासी लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1) स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार आहरण किया जायेगा। धनराशि आहरित कर, बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
2) लागत का आंकलन प्रस्तावित मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए किया गया है। निर्माण के समय उक्त मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निदेशक संस्थान का होगा।
3) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी संस्थान के निदेशक की होगी।
4) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ, फायर एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
5) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6) प्रायोजनान्तर्गत लिफट, डी0जी0 सेट 380 के0वी0ए0, एल0सी0डी0 टी0वी0, वातानुकूलन संयत्र आदि बाट आउट प्रकार के कार्यो हेतु संबंधित निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करने के उपरान्त इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।

7) प्रयोजनान्तर्गत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों में उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य बढाना, प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, पी0एफ0ए0डी0/शासन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

8) निदेशक, संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है। प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डूप्लिकेसी) नहीं हो रही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

9) पी0एफ0ए0डी0 की संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

10) लागत में परिवर्तन आदि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019 /बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 मे उल्लिखित दिशा-निर्देशो का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11) अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा, अपितु कार्य की आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

12) संस्थान/कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना का कार्य अनुमोदित लागत में ही यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

13) कार्यदायी संस्था को आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज देय होगा।

14) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

15) स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा तथा व्यय, स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

16) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, संजय गांधी स्नात्कोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03- संजय गांधी स्नात्कोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ-24-वृहत् निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/232/दस-2020, दिनांक 24 फरवरी, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-27/2020/63(1)/71-2-20-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2) मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
3) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4) वित्त अधिकारी, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
5) वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4
6) प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ।
7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।